



जमाबंदी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- भाटपुर
पटवार हल्का :- बिलडी
भू.अभि.नि. :- बिलडी
तहसील :- डूंगरपुर
जिला :- डूंगरपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2078 - 2078 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 151
खाता संख्या पुराना :- 36

काश्तकार का नाम:-

1. ककुआ पुत्र कानजी हिस्सा- 1/2 जाति- मीणा सा. दे. खातेदार
2. काउवा पुत्र लक्सी हिस्सा- 1/8 जाति- मीणा सा. दे. खातेदार
3. गदुलाल पुत्र लक्सी हिस्सा- 1/8 जाति- मीणा सा. दे. खातेदार
4. प्रभु पुत्र लक्सी हिस्सा- 1/8 जाति- मीणा सा. दे. खातेदार
5. रामचंद्र पुत्र लक्सी हिस्सा- 1/8 जाति- मीणा सा. दे. खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
136	0.0600	तालावी द्वितीय	0.0600	0.60		
296	0.1300	तालावी द्वितीय	0.1300	1.30		
कुल खसरे - 2	0.1900		0.1900	1.9000		

स्वीकृत नामान्तरकरण : 28 13/06/2022 समर्पण

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 5-Aug-2024



क. क. उ. स.



ग. ड. म. स.

का. 341

कार्यालय नगरपरिषद् डूंगरपुर (राज.)

क्रमांक :- भूमि-90A/न.प.डू./2025-26/2221

दिनांक :- 7/8/25

प्रारूप- 11

{नियम 7 (1) के अन्तर्गत }
प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय

मामला सं.

और वर्ष

1. श्री ककुआ पिता श्री कानजी, काउवा, गटुलाल, प्रभु व रामचन्द्र पिता लक्सी मीणा निवासी भाटपुर डूंगरपुर के द्वारा राजस्व ग्राम भाटपुर तहसील डूंगरपुर के खसरा नं. 296 रकबा 0.13 हेक्टेयर भूमि।

विषय :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90A के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं :-

2. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90A के अधीन निम्नलिखित कृषि भूमि का आवासीय के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :-

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
डूंगरपुर	भाटपुर	खसरा नं. 296 रकबा 0.13 हेक्टेयर	कुल रकबा 0.13 हेक्टेयर

3. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथ पत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
4. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है एवं भू-उपयोग परिवर्तन/एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 06.08.2025 के क्र.सं. 1(1) के अन्तर्गत 90A की स्वीकृति का अनुमोदन भी हो गया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90A और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिवृत्ति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
5. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम भाटपुर तहसील डूंगरपुर के खसरा नं. 296 रकबा 0.13 हेक्टेयर भूमि पर आवेदक के अभिवृत्ति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/ओवदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
6. आवेदक द्वारा उस भूमि को जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन क पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
7. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 07.08.2025 को पारित किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी
नगरपरिषद् डूंगरपुर (राज.)
दिनांक :- 07.08.25

क्रमांक :- भूमि-90A/न.प.डू./2025-26/

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी :-

1. श्री आयुक्त, नगरपरिषद् डूंगरपुर।
2. श्री तहसीलदार, डूंगरपुर को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी को श्री ककुआ पिता श्री कानजी, काउवा, गटुलाल, प्रभु व रामचन्द्र पिता लक्सी मीणा निवासी भाटपुर डूंगरपुर के द्वारा राजस्व ग्राम भाटपुर तहसील डूंगरपुर के खसरा नं. 296 रकबा 0.13 हेक्टेयर भूमि का नामान्तरण करने एवं नगर परिषद् डूंगरपुर के नाम बिलानाम आबादी भूमि दर्ज करने हेतु इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकृत अधिकारी (आयुक्त नगरपरिषद्) और अधोहस्ताक्षरकर्ता को की गई कार्यवाही एवं जमाबंदी के साथ भिजवाने हेतु निवेदन है।


प्राधिकृत अधिकारी
नगरपरिषद् डूंगरपुर (राज.)

नामांतरकरण प्रपत्र (प-21)

ग्राम :भाटपुर	पटवार मण्डल :बिलडी	भू.अ.नि.वृत्त:बिलडी	तहसील:डूंगरपुर	जिला:डूंगरपुर
नामांतरकरण का प्रकार : समर्पण	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :202 18/12/2025		संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या:2078-2078	
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :			नामांतरकरण शुल्क :20 शास्ति : 0	

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खाता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	296	0.1300	तालाबी द्वितीय	1.30	1.) <u>ककुआ पुत्र कानजी</u> <u>हिस्सा- 1/2</u> <u>जाति- मीणा सा. दे. खातेदार</u> 2.) <u>प्रभु पुत्र लक्सी</u> <u>हिस्सा- 1/8</u> <u>जाति- मीणा सा. दे. खातेदार</u> 3.) <u>काउवा पुत्र लक्सी</u> <u>हिस्सा- 1/8</u> <u>जाति- मीणा सा. दे. खातेदार</u> 4.) <u>गटुलाल पुत्र लक्सी</u> <u>हिस्सा- 1/8</u> <u>जाति- मीणा सा. दे. खातेदार</u> 5.) <u>रामचंद्र पुत्र लक्सी</u> <u>हिस्सा- 1/8</u> <u>जाति- मीणा सा. दे. खातेदार</u> --बदस्तूर खसरा--	299	1.) नगरपरिषद् डूंगरपुर हिस्सा- पूर्ण संस्था --बदस्तूर खसरा--	296	0.1300	आबादी	0.00
खाता : 151		कुल खसरे : 2	कुल क्षेत्रफल : 0.1900		कुल काश्तकार : 5	खाता : 299	कुल काश्तकार : 1	कुल खसरे : 46		कुल क्षेत्रफल : 16.9101	

खातों का विवरण:-

खाता : 151	कुल खसरे : 2	कुल क्षेत्रफल : 0.1900	कुल काश्तकार : 5	खाता : 151	कुल काश्तकार : 5	कुल खसरे : 1	कुल क्षेत्रफल : 0.0600
				खाता : 299	कुल काश्तकार : 1	कुल खसरे : 46	कुल क्षेत्रफल : 16.9101

पटवारी की रिपोर्ट :श्रीमानजी मुताबिक समर्पण पत्र व आदेश के अनुसार नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

पटवारी का नाम RAMESH PATEL
दिनांक 12/18/2025 5:10:31 PM



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- भाटपुर
पटवार हल्का :- बिलडी
भू.अभि.नि. :- बिलडी
तहसील :- डूंगरपुर
जिला :- डूंगरपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2078-2078 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 299
खाता संख्या पुराना :- 289

काश्तकार का नाम:-

1. नगरपरिषद् डूंगरपुर हिस्सा- पूर्ण संस्था,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
7	0.0841	मगरी	0.0841	0.00	स्वीकृत नामांतरकरण : 10 29/04/2022आवंटन	
160	0.9700	पडत	0.9700	0.97	स्वीकृत नामांतरकरण : 28 13/06/2022समर्पण	
162	0.0200	मगरी	0.0200	0.00	स्वीकृत नामांतरकरण : 125 23/08/2024समर्पण	
167	0.0600	मगरी	0.0600	0.00	स्वीकृत नामांतरकरण : 193 12/11/2025समर्पण	
168	0.0800	मगरी	0.0800	0.00	स्वीकृत नामांतरकरण : 202 19/12/2025समर्पण	
214	0.8100	पडत	0.8100	0.81	निरस्त नामांतरकरण : 2 05/01/2022 आवंटन	
215	0.9200	मगरी	0.9200	0.00		
272	0.3200	पडत	0.3200	0.32		
296	0.1300	आबादी	0.1300	0.00		
319	0.2900	आबादी	0.2900	0.00		
358	0.5800	पडत	0.5800	0.58		
377	0.2100	आबादी	0.2100	0.00		
424	0.1000	पडत	0.1000	0.10		
447	0.1200	मगरी	0.1200	0.00		
453	0.0900	पडत	0.0900	0.09		
533	1.1500	मगरी	1.1500	0.00		
557	0.8700	मगरी	0.8700	0.00		
566	0.1200	पडत	0.1200	0.12		
579	0.4941	मगरी	0.4941	0.00		
590	0.0100	आवासीय आबादी	0.0100	0.00		
591	0.0100	आवासीय आबादी	0.0100	0.00		
593	0.0400	आवासीय आबादी	0.0400	0.00		
594	0.0400	आवासीय आबादी	0.0400	0.00		
617	0.2100	मगरी	0.2100	0.00		
642	0.0700	पडत	0.0700	0.07		
658	0.1900	मगरी	0.1900	0.00		
689	0.7700	मगरी	0.7700	0.00		
696	0.9894	मगरी	0.9894	0.00		

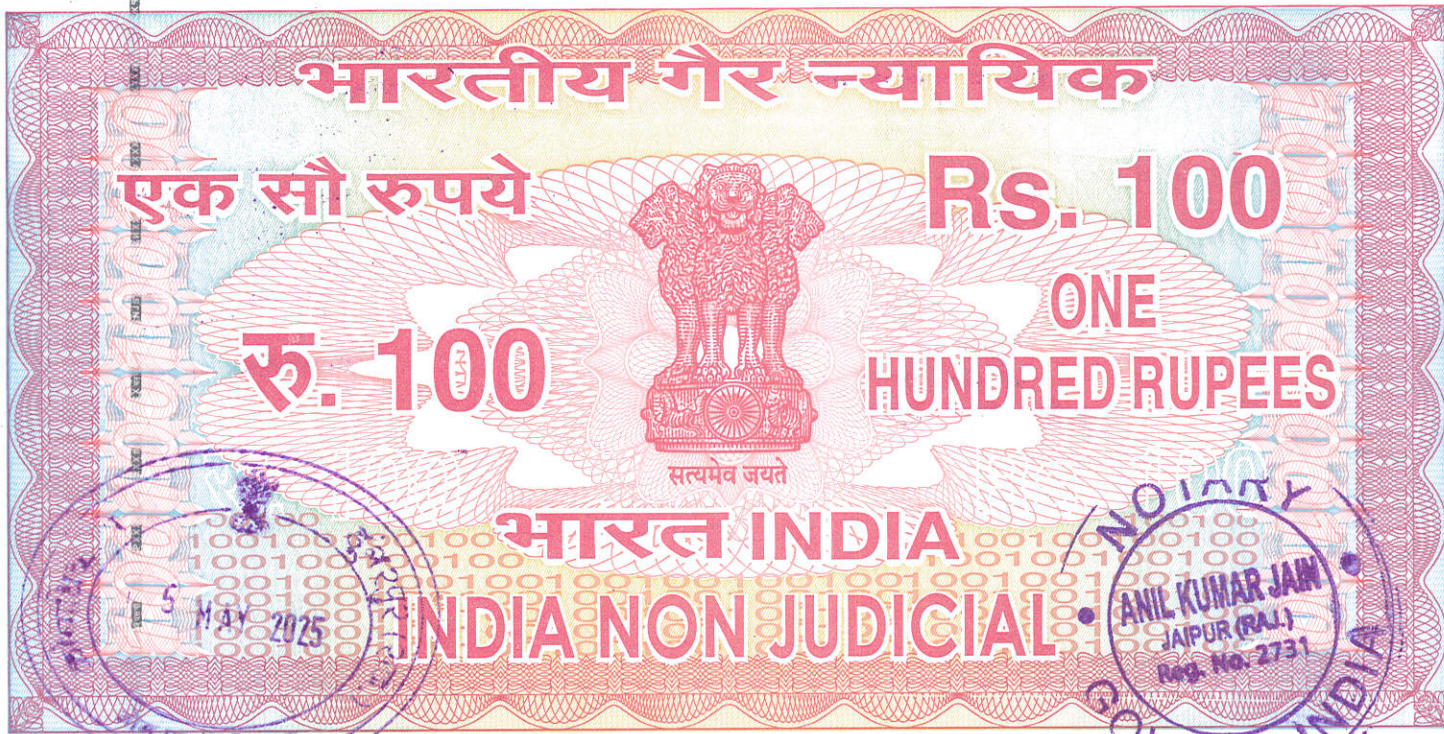
True Copy

R.

पटवार

पटवार मण्डल बिलडी

तह. व जि. डूंगरपुर



राजस्थान RAJASTHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

CB 776304

This Memorandum of Understanding is being made and executed on this
Day of, 2026 at _____

BETWEEN

1. **Gatu Lal Katara** S/o Laksi Katara, aged 49 years R/o Ward No.1, Bhatpur, Dungarpur, Rajasthan-314001(hereinafter referred to as the "Promoter/Landowner"), which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **First Part**;

And

2. **Kakua Katara** S/o Kanaji Katara, aged 63 years R/o Ward No.1, Bhatpur, Dungarpur, Rajasthan- 314001 (hereinafter referred to as the "Other Promoter/Landowner") which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **Second Part**;

And

3. **Kauva Katara** S/o Laksi Katara, aged 44 years R/o Talab Fala, Mukam post, Damri, Dungarpur, Rajsthan-314036. (hereinafter referred to as the

गटु लाल

ATTESTED
Anil Kumar Jain
Notary (Govt. of India,
JAIPUR (Raj.))

21 JAN 2026

“Promoter/Landowner”) which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **Third Part**;

And

4. **Prabhu Katara** S/o Laksi Katara, aged 61 years R/o Bhatpur, Dungarpur, Rajasthan-314001. (hereinafter referred to as the “Other Promoter/Landowner”) which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **Fourth Part**;

And

5. **Ram Chandra Katara** S/o Laksi Katara, aged 54 years R/o Ward No.1, mukam post biladi, Kaushal magri, Dungarpur, Rajasthan-314001. (Hereinafter referred to as a Other promoter/Landowner) which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **Fifth Part**;

Whereas the above referred parties jointly owned a piece of Land “**HANUMAN NAGAR**” situated at at Khasra No. 296 of Village: Bhatpur Tehsil: Dungarpur, District: Dungarpur, State-Rajasthan.

NOW IT IS HEREBY AGREED AND DECLARED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO AS FOLLOWS:

1. The project “**HANUMAN NAGAR**” situated at at Khasra No. 296 of Village: Bhatpur Tehsil: Dungarpur, District: Dungarpur, State-Rajasthan, shall be jointly developed by all the parties.
2. The Marketing and selling of the project shall be carried out by all the parties.
3. That, party to the first part (Gatu Lal Katara) shall act as a Promoter and remaining parties shall act as the other promoters in the above-referred project land “**HANUMAN NAGAR**”.

21/2/2026

ATTESTED
Anil Kumar Jain
Notary (Govt. of India)
JAIPUR (Raj.)
21 JAN 2026



4. That, Gatu Lal Katara shall sign all the documents related to RERA.
5. That, all the Rights and liabilities as imposed by the RERA Act shall be executed jointly by all the parties.
6. That three-bank accounts are opened as provided in section 4(2)(1)(D) of the RERA Act in the name of the First part.
7. All the receipts/losses from the booking and sale of units in the project "HANUMAN NAGAR" shall be shared between the parties in ratio of their ownership.

	Name of Landowner	% of Ownership
1.	Gatu Lal Katara	12.5%
2.	Kakua Katara	5.0%
3.	Kauva Katara	12.5%
4.	Prabhu Katara	12.5%
5.	Ram Chandra Katara	12.5%
TOTAL		100%

8. That, if any contradiction arises or any loss or damage to any allottee arises in any manner in the future all the parties jointly takes responsibility to compensate for the same.

गटुलाल कटारा

Gatu Lal Katara
(Promoter/Landowner)

ककुआ कटारा

Kakua Katara
(Landowner)

ATTESTED

Anil Kumar Jain
Notary (Govt. of India,
JAIPUR (Raj.))

21 JAN 2026



काउवा

Kauva Katara
(Landowner)



Prabhu Katara
(Landowner)



Ram Chandra Katara
(Landowner)



ATTESTED

Anil Kumar Jain
Notary (Govt. of India)
JAIPUR (Raj.)

21 JAN 2020